झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. धारा 2 में संशोधन ।
3. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 में नई परिभाषाओं का अंत:स्थापन ।
4. धारा 3 क का विलोपन ।
5. धारा 4 में संशोधन ।
6. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) से संलग्न सूची का संशोधन ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड सरकार द्वारा एस0 ओ0 संख्या 117 दिनांक 15.12.2000 द्वारा यथा अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36, 1948) को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्त्तन करने के लिए संशोधन हेतु विधेयक।

प्रस्तावना – चूंकि, राज्य निधि में संसाधनों के वृद्धि हेतु अविलम्ब कदम उठाया जाना आवश्यक हो गया है, जिसके आलोक में विद्यमान एवं अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन तथा पूर्व से लागू विद्युत शुल्क दरों में पुनरीक्षण की आवश्यकता है,

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (i) यह अधिनियम झारखण्ड बिद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस विधेयक के प्रारंभ के प्रति संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह मूल उपबंध के प्रति संदर्भ है।

2. धारा 2 में संशोधन –

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 के खंड (क),(ख),(ग),(घ),(ड़), और (च) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित एवं पुनः सांख्यांकित किए जायेंगे। : –

(घ) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए "आयुक्त" से अभिप्रेत है वाणिज्य कर आयुक्त या वाणिज्य कर अपर आयुक्त जिसे झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखंड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के तहत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, और कोई अन्य अधिकारी जो झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नियुक्त है, भी शामिल है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, आयुक्त के सभी या कोई अधिकार या कर्तव्य प्रदान कर सकती है।

स्पटीकरण– 10.06.2003 और 31.03.2006 की अवधि के दौरान आयुक्त, अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम (भाग–1) 1981 (1981 के बिहार अधिनियम 05) की धारा 9 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(ड़) बिहार विधुत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में यथा अंगीकृत) के प्रयोजनार्थ 'उपभोक्ता' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 'लाईसेंसधारी या लाईसेंसधारी वितरक' या 'सरकार' अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य नियम के अधीन जनता को बिजली आपूर्ति करने के कारोबार में लगा 'कोई अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की खपत के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसका परिसर या आवास प्रतिष्ठान यथास्थिति, 'लाईसेंसधारी', 'लाईसेंसधारी वितरक 'सरकार' या 'अन्य व्यक्ति' के संकर्म से बिजली प्राप्ति के प्रयोजनार्थ तत्समय जुड़े हैं तथा इसमें यह भी शामिल है – (i) 'लाईसेंसधारी' जो अपने द्वारा पैदा किए गए या अन्य लाईसेंसधारी द्वारा आपूरित बिजली का उपभोग

करता है, और (ii) बिजली का वास्तविक उपभोक्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो अपने द्वारा उत्पादित बिजली का उपभोग करता है।

(छ) "ऊर्जा" का अर्थ विद्युतीय ऊर्जा है –

(क) उत्पादित, प्रेषित, आपूर्ति या किसी प्रयोजनार्थ कारोबार करने के लिए; या

(ख) किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त, संदेश के प्रसारण के अतिरिक्त;

लेकिन उपभोक्ता को आपूर्ति करने से पहले, "लाइसेंसधारी" या "वितरक लाइसेंसी" द्वारा प्रसारण या परिवर्तन में विद्युत भुगतान की क्षति शामिल नहीं होगी।

(झ) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है जिसे इस उद्देश्य के लिए लाइसेंसधारी समझा गया है या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 एवं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) के उदेश्य हेतु जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है।

इस अधिनियम में शामिल हैं;

(i) "बोर्ड"(झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड या बिहार विद्युत बोर्ड);

(ii) दामोदार घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम संख्या XIV) द्वारा यथास्थापित दामोदर घाटी निगम;

(iii) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन;

(iv) कैप्टिव उत्पादन संयंत्र

(v) उत्पादन कंपनी;

(vi) कोई भी अन्य व्यक्ति, फर्म, निगम, कंपनी, चाहे सरकारी हो या नहीं, जो विद्युत के निर्माण, वितरण और आपूर्ति में लगे हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई है।

व्याख्या – शब्द Licencee या शब्द Licensee का एक ही अर्थ और विस्तार–क्षेत्र होगा जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रयुक्त किया गया है।

(म) न्यायाधिकारण का अर्थ है, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित झारखण्ड वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण।

स्पष्टीकरण – 10.06.2003 और 31.03.2006 की अवधि के बीच न्यायाधिकरण अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम (भाग–1) 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 05) की धारा 8 के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत समझा जायेगा।

2. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 का विद्यमान खंड (च), खंड (ज) के रूप में पुर्नक्रमांकित किया जाएगा।

3. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 में नई परिभाषाओं का अन्तःस्थापन।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 2 के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), और (ण) के रूप में नई परिभाषाओं का निम्नांकित रूप से अन्तःस्थापित किया जाएगाः–

(क) "ऊर्जा के वास्तविक उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो उपभोक्ता नही है, लेकिन कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है।

(ख) "कैप्टिव उत्पादन संयंत्र" से अभिप्रेत है एक ऊर्जा संयंत्र जो व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के संघ द्वारा या किसी सहकारी समिति द्वारा मुख्यतः खुद के उपयोग के लिए या सदस्यों के उपयोग के हेतु बिजली उत्पादन के लिए स्थापित किया जाता है, और साथ ही ऊर्जा संयंत्र जिसे ऐसी उत्पादित अधिशेष ऊर्जा को बेचने की स्वीकृति है जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप–धारा (8) के अंतर्गत परिभाषित है।

(ग) "कंपनी" से अभिप्रेत है सरकारी कम्पनी सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं निबंधित कोई कम्पनी और इसमें केन्द्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन निगमित एवं विधुत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप–धारा (8) के अधीन यथा परिभाषित निकाय भी शामिल है।

(घ) "शुल्क" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के तहत देय विद्युत शुल्क और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है।

(ड़) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखंड सरकार

(च) "औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है एक ऐसी औद्योगिक इकाई जो मुख्यतः सम्बद्ध है :–

(i) माल के उत्पादन या निर्माण या प्रसंस्करण में;

(ii) कोई खुदरा काम जो माल के विनिर्माण या उत्पादन में छूट देता है किन्तु इसमें वैसी इकाई शामिल नही है जो ऐसे प्रतिष्ठान के परिसर में उपभोग हेतु किसी प्रकार के भोजन या पेय या दोनों का विनिर्माण या उत्पादन करती है।

(iii) जिनको 100 केवीए और 6.6 केवी/11केवी/33केवी या 132 केवी पर 3 चरण के साथ और अधिक के आगे "लाइसेंसधारी" या " लाइसेंसधारी वितरक" या समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जिनको अधिसूचित किया जाए के द्वारा करार मांग पर बिजली की आपूर्ति की जाती है

स्पष्टीकरण– औद्योगिक इकाई के परिसर में "खान" और इस प्रकार के परिसर जो आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, शामिल नहीं हैं।

(छ) "खान" से अभिप्रेत है एक खान जिस पर खान अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या 35) लागू होता है और अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के उद्देश्य के लिए इसमें शामिल हैं परिसर या मशीनरी या संयंत्र जो खान में या बगल में स्थित हैं और जो खनिज के कुचलने, प्रसंस्करण, उपयोग के लिए, धोने या परिवहन के लिए इस्तेाल किया जाता है, लेकिन "औद्योगिक इकाई" में शामिल नहीं है।

(ज) "माह" से अभिप्रेत है कलेंडर माह;

(झ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना

(ञ) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निगमित निकाय या संघ या निजी व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति;

(ट) "परिसर" से अभिप्रेत है, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के प्रयोजनार्थ निवास, वाणिज्य, कार्यालय, खेल, क्लब, पुस्तकालय, कैंटीन की अपेक्षा औद्योगिक उद्देश्यों या खनन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कोई भी औद्योगिक उपक्रम या खनन उपक्रम द्वारा प्रयुक्त परिसर।

(ठ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है उक्त अधिसूचना की तत्संबंधी प्रविष्टियों में उल्लेखित अपने–अपने क्षेत्र/क्षेत्रों के भीतर बिहार विधुत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में यथा अंगीकृत के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के प्रयोग या संपादन के लिए झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 5, 2006) की धारा 4 के अधीन यथा

नियुक्त एवं उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारीगण।

स्पष्टीकरण – 10.06.2003 और 31.03.2006 की अवधि के बीच विहित प्राधिकारी अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम (भाग–1) 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 05) की धारा 9 के अन्तर्गत नियुक्त समझा जायेगा।

(ल) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखंड राज्य

(व) बिजली के सम्बन्ध में "आपूर्ति" से अभिप्रेत है एक "लाइसेंसधारी" द्वारा दूसरे लाइसेंसधारी(यों) या "लाइसेंसधारी वितरक" को या उपभोक्ता को, बिजली की बिक्री या " लाइसेंसधारी वितरक " द्वारा उपभोक्ता को बिजली की बिक्री।

(श) "यूनिट" से अभिप्रेत है एक किलोवाट घण्टा बिजली;

इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम 2003 में उनके लिए दिया गया है।

4. धारा 3क का विलोपन – बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की विद्यमान धारा 3क को विलोपित किया जाता है।

5. धारा 4 में संशोधन – बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत) की धारा 4 में संशोधन

(i) उप–धारा (1) में, "प्रत्येक लाइसेंसधारी" शब्द के बाद और "प्रत्येक माह अदा करेगा" शब्द के पहले, "या कोई अन्य व्यक्ति, जो शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है", शब्द जोड़ा जायेगा।

(ii) उप–धारा (2) में, "प्रत्येक लाइसेंसधारी" शब्द के बाद और "उपभोक्ता से वसूल सकता है" शब्द से पहले ""या अन्य किसी व्यक्ति से, जो शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी है" शब्द जोड़ा जायेगा।

(iii) उप–धारा (3) विलोपित की जाएगी।

(iv) उप–धारा (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"राज्य सरकार के विभाग सहित प्रत्येक व्यक्ति या उपभोक्ता जो शुल्क भुगतान करने का दायी है, जो स्वयं के उपयोग या अपने कर्मचारियों के उपयोग के लिए या आंशिक बिक्री के लिए या आंशिक उपभोग के लिए या अन्यथा अपने कैप्टिव उत्पादन संयत्र से बिजली का उत्पादन करता है, तो वह धारा 3 के अधीन स्वयं द्वारा या अपने कर्मचारियों द्वारा या बेची गयी बिजली की इकाइयों पर विहित रीति से प्रत्येक माह समय पर शुल्क का भुगतान करेगा।"

(v) उप–धारा (4क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

लाइसेंसधारी के अलावा प्रत्येक व्यक्ति या उपभोक्ता, जो बिक्री या खुद के उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, लाइसेंसधारी या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित ऊर्जा की थोक आपूर्ति करता है तो वह बेची गई या खपत की गई इकाइयों पर धारा 3 के तहत प्रत्येक माह राज्य सरकार को विहित समय और तरीके के अनुसार उचित शुल्क अदा करेगा।

6. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में यथा अंगीकृत) से संलग्न अनुसूची का संशोधन –

निम्नलिखित अनुसूची द्वारा वर्तमान अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी:–

अनुसूची

(धारा 3 देखें)

क्रम संख्या.	उद्देश्य	युनिट पर शुल्क की दर	शुद्ध मूल्य पर प्रतिशत के आधार पर शुल्क की दर (ऐसे परिसरों में जहां मीटर नहीं लगा हुआ है)
1	2	3	
1.	सिंचाई एवं कृषि सेवा के लिए	दो पैसा प्रति युनिट	दो प्रतिशत
2.	मन्दिरों, अग्नि मन्दिरों, गुरूद्वारों, मस्जिदों, चर्चो या अन्य किसी धार्मिक एवं प्रार्थना स्थलों के लिए किसी धार्मिक समुदाय के लिए दफन/श्मशान परिसरों के लिए, घरेलु एवं गैर–घरेलु उद्देश्यों धार्मिक/प्रार्थना प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं के परिसर में खपत के सम्बन्ध में	दो पैसा प्रति युनिट	दो प्रतिशत
3.	घरेलु उपभोक्ताओं के लिए – (क) 250 युनिट तक (ख) 250 युनिट से अधिक	 बीस पैसा प्रति युनिट चौबीस पैसा प्रति युनिट	 बीस प्रतिशत चौबीस प्रतिशत
4.	गैर–घरेलु उपभोक्ताओं के लिए (क) 250 युनिट तक (ख) 250 युनिट से अधिक	 चौबीस पैसा प्रति युनिट तीस पैसा प्रति युनिट	 चौबीस प्रतिशत तीस प्रतिशत
5.	निम्नलिखित में खपत के लिए– (क) खान, जहां कुल भार 100बीएचपी से अधिक नहीं है	 पंद्रह पैसा प्रति युनिट	 पंद्रह प्रतिशत
	(ख) खान, जहां कुल भार 100बीएचपी से अधिक है	बीस पैसा प्रति युनिट	बीस प्रतिशत
6.	निजी नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों, क्लबों, शॉपिंग मॉल्स, कोल्ड स्टोरेज, मल्टीप्लेक्सेज, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्सेज जिनमें स्टेडियम भी शामिल हैं और ऐसे होंटल जहां कमरे का किराया पांच सौ रूपये प्रति दिन से अधिक है, पंजीकृत समितियों की आवासीय कालोनियों एवं अन्य आवासीय कालोनियों/बहु–मंजिली आवसीय काम्पेलेक्सेज जो थोक में भार ले रहे हैं (साथ ही आवासीय कालोनी के परिसर या बहुविध आवासीय काम्पलेक्स के भीतर लिफ्ट, वाटर पम्प, और सामान्य घरेलु खपत शामिल) के लिए	बीस पैसा प्रति युनिट	बीस प्रतिशत
7.	औद्योगिक इकाईयों में खपत के लिए	पांच पैसा प्रति इकाई	पांच प्रतिशत
8.	प्रदर्शिनियों, बिक्रय प्रोत्साहनों, मेला, शो या औपचारिक अवसरों पर सजावटों या इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर विद्युत की आस्थाई आपूर्ति हेतु	बीस पैसा प्रति इकाई	बीस प्रतिशत
9.	सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन या प्रदर्शन, या इस प्रकार के परिसरों के भीतर/बाहर अन्य, जिनमें सामान और सेवाएं विज्ञापित की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, बेची जाती हैं, की आपूर्ति की जाती है या प्रदान की जाती है के उद्देश्यों से खपत के लिए	पच्चीस पैसा प्रति इकाई	पच्चीस प्रतिशत
10.	खपत की ऐसी कोई श्रेणी या श्रेणियों जो विद्युत खपत की ऊपर वर्णित श्रेणियों में नहीं आती हैं, के लिए	पन्द्रह पैसा प्रति इकाई	पंद्रह प्रतिशत

यह विधेयक झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 56--50--30-03-2011 ।